

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज न्यायालय इलाहाबाद अधिकारी (नये) न्यायाधीश सुभाष चन्द्र वर्मा जज (नये) कर्क दिनांक- 29-6-17 नं०-51/2013	नम्बर अहक हुक्म व में
----------------	---	--------------------------------

20-4-17 पञ्जाबी पेश हुई इमपपक्ष अधिवक्ता डपठ/ आदेशिका दि 10-11-16 की पासना में अपाधी अधिवक्ता द्वारा भवसर चाहा गया। दिया जाकर पञ्जाबी वाले जवाब/ लखवी हेतु दि 29-6-17 को पेश हो।

10-6-17 - पञ्जाबी राज राजव लोचु किलान केस्य मुकाम करण में पेश हुई। अधिका अधिवक्ता शिविर में डपठ। इस प्रकार से संबधित मूक अपील पर सठ को शिविर में स्वीकार कर निर्णय किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में मौजूदा अपील पर के स्थान प्राप्ति में अब आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। निहाय प्राप्ति वाक्य स्थान में अब आगे कि कार्यवाही स्थगित कर आदेशिका दि 13-6-14 से जारी क्लरिफ अध्यायी निषेधज्ञा को समाप्त करने हुए मूक अपील पर सठ के साथ तृती किये जाते के आदेश पारित किये जाते हैं। पञ्जाबी नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमात हो।